



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 16 सितम्बर, 1972

भाद्रपद 26, 1894 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग

संख्या 3280/सत्रह--वि०-100172

लखनऊ, 16 सितम्बर, 1972

विज्ञप्ति

विधि

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 पर दिनांक 12 सितम्बर, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1972 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1972]

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में प्राविशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887, बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- | | |
|---|----------------|
| 1—(1). यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 कहलायेगा। | संक्षिप्त नाम, |
| (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। | प्रसार तथा |
| (3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे। | प्रारम्भ |

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित प्राविशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 15 में उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“प्रतिबन्ध यह है कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी वेदखली के लिये, अथवा पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन को अवधि के संबंध में किराये की, अथवा पट्टे की समाप्ति के पश्चात् उसके प्रयोग तथा अध्यासन के लिये उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त वादों के संबंध में, इस उपधारा में दो हजार रुपये के अभिदेश को पांच हजार रुपये के अभिदेश के अर्थ में समझा जायगा।

ऐक्ट संख्या 9,
1887 की
धारा 15 का
संशोधन

एक्ट संख्या 9,
1887 की धारा
25 का संशोधन

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद “भवन” का वही अर्थ है जसा द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद (4) में दिया गया है।”

3—मूल अधिनियम की धारा 25 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“प्रतिबन्ध यह है कि लघुवाद न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करके किसी जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णीत किसी मामले में, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी।”

एक्ट संख्या 9,
1887 की
द्वितीय अनुसूची
का संशोधन

4—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, अनुच्छेद (4) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जाय, अर्थात्:—

“(4) स्थावर संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अथवा ऐसी संपत्ति में हित की पुनर्प्राप्ति के लिए कोई वाद, किन्तु जिसके अन्तर्गत पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिये, तथा पट्टे की समाप्ति के पश्चात् उस भवन के प्रयोग तथा अध्यासन के लिए उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त, वाद नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, पद “भवन” का तात्पर्य किसी आवासिक या अनावासिक छादित संरचना से है, और इसके अन्तर्गत ऐसे भवन से सम्बद्ध कोई भूमि (जिसमें कोई बगीचा भी सम्मिलित है), गैराज और उपभवन भी है, और ऐसे भवन में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगाये गये उपस्कर तथा फिक्सचर भी सम्मिलित है।”

एक्ट संख्या 12,
1887 की धारा
25 का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 25 की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय, और—

(1) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में उसके वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

“प्रतिबन्ध यह है कि उक्त ऐक्ट की धारा 15 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट प्रकार के वादों के संबंध में, इस उपधारा में एक हजार रुपये और पांच सौ रुपये के अभिवेश का अर्थ क्रमशः पांच हजार रुपये और एक हजार रुपये लगाया जायगा।”;

(2) यथा पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिये, अथवा पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में फिराये की, अथवा पट्टे की ऐसी समाप्ति के पश्चात् उसके प्रयोग तथा अध्यासन के लिये उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त सभी वादों के (चाहे उनका वादमूल्य कुछ भी हो) परीक्षण के लिये किसी जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश को प्राविशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय (कोर्ट आफ स्माल काज) के न्यायाधीश का अधिक्षेत्र प्रदत्त कर सकती है और इस प्रकार प्रदत्त अधिक्षेत्र को वापस ले सकती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद “भवन” का वही अर्थ है जसा उक्त ऐक्ट की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद (4) में दिया गया है।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकती है।”

एक्ट संख्या 5,
1908 की धारा
116 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, जिसे एतदपश्चात् उक्त संहिता कहा गया है, की धारा 115 में—

(1) शब्द “उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय”, जहां वे पहली बार आये हों, के स्थान पर शब्द “बीस हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के मूल वादों से उद्भूत मामलों में उच्च न्यायालय और अन्य मामलों में जिला न्यायालय” रख दिये जायें और शब्द “उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय”, जहां वे दूसरी बार आये हों, के पूर्व शब्द तथा कामा “यथास्थिति,” रख दिये जायें ;

(2) उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय ।

7—उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में, आदेश 15 में नियम 4 को पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

अधिनियम संख्या 5, 1908 की अनुसूची 1 के आदेश 15 में नय नियम का बढ़ाया जाना

“5—(1) पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी स्थावर सम्पत्ति से उसकी बदखली के लिये, या पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में उसके किराये की, या उसके प्रयोग या अध्यासन के निमित्त प्रतिकर की बसूली के लिये पट्टाकर्ता द्वारा किसी वाद में, चाहे वह उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् संस्थित किया गया हो, प्रतिवादी वाद की प्रथम सुनवाई के समय अथवा उसके पूर्व (या

उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किसी वाद की दशा में, इस प्रकार के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम सुनवाई पर) किराये, अथवा प्रयोग तथा अध्यासन के लिये प्रतिकर, की सम्पूर्ण धनराशि जितना देय होना उसे स्वीकृत हो जरा करेगा, और तत्पश्चात् वाद जारी रहने के दौरान अपने द्वारा स्वीकृत दर पर देय मासिक किराये, अथवा प्रयोग तथा अध्यासन के लिये प्रतिकर, की धनराशि नियमित रूप से जमा करता रहेगा, और इस संबंध में किसी चूक की दशा में, न्यायालय, जब तक कि उसके द्वारा तबथं दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उतनी ही धनराशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त समय की अनुज्ञा न दे दे, यथास्थिति, कोई प्रतिवाद ग्रहण करने से इंकार कर सकता है, या उसके प्रतिवाद को श्रपास्त कर सकता है।

(2) इस नियम के उपग्रन्थ आदेश 39 के नियम 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के अतिरिक्त हैं, न कि उसके अल्पीकरण में।”

8—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 में,—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 का संशोधन

(1) धारा 3 में, खंड (क) में, शब्द “उसके वारिसों से है” के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

“(1) किसी आवासिक भवन की दशा में, उसके केवल ऐसे वारिसों से है जो उसकी मृत्यु के समय भवन में उसके साथ सामान्यतया रहते थे,

(2) किसी अनावासिक भवन की दशा में, उसके वारिसों से है”;

(2) धारा 20 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द, अक्षर, कोष्ठक तथा अंक “या धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (द) में” निकाल दिये जायें ;

(ख) उपधारा (3) और (6) निकाल दी जाय ;

(3) धारा 34 में, उपधारा (8) में, शब्द “ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाय” के स्थान पर शब्द “ऐसी प्रक्रिया, सवृत के सिद्धांत, परिसीमा के नियम तथा पत्र-प्रदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे जो नियत किये जायें” रख दिये जायें तथा सदैव से रखे गये समझे जायें ;

(4) धारा 39 में, उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय और सदैव से निकाला गया समझा जाय ;

(5) धारा 43 में, उपधारा (2) में,—

(क) खंड (घ) में, अन्त में, शब्द “और तद्धीन रहते हुए, ऐसी कार्य-वाहियां जारी रखी और समाप्त की जांगी मानें यह अधिनियम पारित न किया गया हो,” बढ़ा दिये जायें, और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायें ;

(ख) खंड (ग) में, अन्त में, शब्द “और उसका निर्णय अंतिम होगा” बढ़ा दिया जाए और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायें ;

(ग) खंड (त) में, शब्द “जिला जज को अन्तरित हो जायेगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा” के स्थान पर शब्द “का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा” रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ;

(घ) खंड (द) में, शब्द “और इसी प्रकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् खंड (अ), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ण) में अन्तर्विष्ट अनुज्ञा से बदखली के लिये कोई वाद संस्थित किया जा सकता है” निकाल दिये जायें ;

(ड) खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“(द) यदि पुराने अधिनियम की धारा 3 में अभिविष्ट कोई अनुज्ञा चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार धारा 21 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में उल्लिखित किसी कारण से, प्राप्त कर ली गयी हो और वह अंतिम हो गयी हो, और किरायेदार की वेदखली के लिये कोई वाद संस्थित न किया गया हो, तो मकानदार धारा 21 के अधीन उसकी वेदखली के लिए नियत प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, और तदुपरान्त नियत प्राधिकारी किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से किरायेदार को वेदखल करने का आदेश देगा, और नियत प्राधिकारी को उक्त कारणों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में अपना पुनः समाधान करना आवश्यक न होगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध धारा 22 के अधीन अपील न हो सकेगी;”।

संक्रमणकालीन
सम्बन्ध

9—बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 25 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड तथा उपधारा (2) में (चाहे वाद का मूल्य दो हजार रुपये, या, जैसी भी दशा हो, एक हजार रुपये से अधिक हो या नहीं), या प्राविशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 15 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिविष्ट प्रकार का कोई वाद जो लघुवाद न्यायालय अथवा लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सिविल न्यायाधीश या मंसिफ के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किया गया हो, और उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व उस न्यायालय में विचाराधीन हो, किन्तु वह ऐसा वाद न हो जिसमें उक्त दिनांक के पूर्व किसी पक्ष की ओर से दिये जाने वाले मौखिक साक्ष्य का अभिलेखन प्रारम्भ किया गया हो अथवा सम्पन्न हो गया हो, उक्त उपबन्धों के अधीन, सिविल न्यायाधीश, मंसिफ, जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश अथवा लघुवाद न्यायालय पर अधिकारिता अथवा वर्धित धनीय अधिकारिता प्रदत्त किये जाने पर ऐसे न्यायालय को अन्तर्गत हो जायगा और उस न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जायगा।

No. 3280(2)/XVII-V-100-1972

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Civil Vidhi Sanshodhan Adhinyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 37 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 12, 1972.

THE UTTAR PRADESH CIVIL LAWS AMENDMENT ACT, 1972

(U. P. Act No. 37 of 1972)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 and the Code of Civil Procedure, 1908, in their application to Uttar Pradesh and the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

It is HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title,
extent and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint.

Amendment of
section 15 of Act
IX of 1887.

2. In section 15 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in relation to suits by the lessor for the eviction of a lessee from a building after the determination of his lease, or for recovery from him of rent in respect of the period of occupation thereof during the continuance of the lease, or of compensation for the use and occupation thereof after such determination of lease, the reference in

No. 3280(2)/XVII-V-100-1972

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Civil Vidhi Sanshodhan Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 12, 1972.

THE UTTAR PRADESH CIVIL LAWS AMENDMENT ACT, 1972

(U. P. Act No. 37 of 1972)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 and the Code of Civil Procedure, 1908, in their application to Uttar Pradesh and the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

It is HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title,
extent and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint.

Amendment of
section 15 of Act
IX of 1887.

2. In section 15 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), the following proviso shall be *inserted*, namely :—

“Provided that in relation to suits by the lessor for the eviction of a lessee from a building after the determination of his lease, or for recovery from him of rent in respect of the period of occupation thereof during the continuance of the lease, or of compensation for the use and occupation thereof after such determination of lease, the reference in

this sub-section to two thousand rupees shall be construed as a reference to five thousand rupees.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the expression 'building' has the same meaning as in Article (4) in the Second Schedule".

3. In section 25 of the principal Act, the following proviso thereto shall be inserted, namely :— Amendment of section 25 of Act IX of 1887.

"Provided that in relation to any case decided by a District Judge or Additional District Judge exercising the jurisdiction of Judge of Small Causes, the power of revision under this section shall vest in the High Court."

4. In the Second Schedule to the principal Act, for Article (4), the following article shall be substituted, namely :— Amendment of the Second Schedule to Act IX of 1887.

"(4) a suit for the possession of immovable property or for the recovery of an interest in such property, but not including a suit by a lessor for the eviction of a lessee from a building after the determination of his lease, and for the recovery from him of compensation for the use and occupation of that building after such determination of lease.

Explanation—For the purposes of this Article, the expression 'building' means a residential or non-residential roofed structure, and includes any land (including any garden), garages and out-houses, appurtenant to such building, and also includes any fittings and fixtures affixed to the building for the more beneficial enjoyment thereof".

5. Section 25 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887, as amended in its application to Uttar Pradesh shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and— Amendment of section 25 of Act XII of 1887

(i) in sub-section (1), as so re-numbered, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that in relation to suits of the nature referred to in the proviso to sub-section (3) of section 15 of the said Act the references in this sub-section to one thousand rupees and five hundred rupees shall be construed respectively as references to five thousand rupees and one thousand rupees." ;

(ii) after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2) The State Government may by notification in the official Gazette, confer upon any District Judge or Additional District Judge the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, for the trial of all suits (irrespective of their value), by the lessor for the eviction of a lessee from a building after the determination of his lease, or for the recovery from him of rent in respect of the period of occupation thereof during the continuance of the lease or of compensation for the use and occupation thereof after such determination of lease, and may withdraw any jurisdiction so conferred.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the expression 'building' has the same meaning as in Article (4) in the Second Schedule to the said Act.

(3) The State Government may by notification in the official Gazette delegate to the High Court its powers under this section."

6. In section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the said Code :— Amendment of section 115 of Act V of 1908

(i) for the words "the High Court or District Court", where they first occur, the words "the High Court in cases arising out of original suits of the value of twenty thousand rupees and above, and the District Court in any other case" shall be substituted and after the words "High Court or District Court" where they occur the second time, the commas and words ", as the case may be," shall be inserted ;

(ii) the proviso shall be omitted.

Insertion of new rule in Order XV, Schedule I of Act V of 1908

7. In the First Schedule to the said Code, in Order XV, after rule 4, the following rule shall be *inserted*, namely :—

“(5) In any suit by a lessor for the eviction of a lessee from any immovable property after the determination of his lease, and for the recovery^e from him of rent in respect of the period of occupation thereof during the continuance of the lease, or of compensation for the use or occupation thereof, whether instituted before or after the commencement of the Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1972, the defendant shall, at or before the first hearing of the suit, (or in the case of a suit instituted before the commencement of the said Act, the first hearing after such commencement) deposit the entire amount of rent, or compensation for use and occupation, admitted by him to be due, and thereafter throughout the continuance of the suit, deposit regularly the amount of monthly rent, or compensation for use and occupation, due at the rate admitted by him, and in the event of any default in this regard, the Court may, unless after considering any representation made by him in that behalf it allows him further time on security being furnished for the amount, refuse to entertain any defence or, as the case may be, strike-off his defence.

(2) The provisions of this rule are in addition to and not in derogation of anything contained in rule 10 of Order XXXIX”.

Amendment of U.P. Act XIII of 1972

8. In the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972—

(i) in section 3, in clause (a), for the words “his heirs”, the following shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

“(1) in the case of a residential building, such only of his heirs as normally resided with him in the building at the time of his death ;

(2) in the case of a non-residential building, his heirs” ;

(ii) in section 20—

(a) in sub-section (1), the words, letter, brackets and figures “or in clause (r) of sub-section (2) of section 43” shall be *omitted* ;

(b) sub-sections (3) and (6) shall be *omitted* ;

(iii) in section 34, in sub-section (8), for the words “shall follow such procedure as may be prescribed” the words “shall follow such procedure, principles of proof, rules of limitation and guiding principles as may be prescribed” shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted* ;

(iv) in section 39, the Explanation thereto shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted* ;

(v) in section 43, in sub-section (2) —

(a) in clause (d), at the end, the words “and subject thereto, such proceedings shall be continued and concluded as if this Act had not been passed” shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted* ;

(b) in clause (o), at the end, the words “ and its decision shall be final” shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted* ;

(c) in clause (p), for the words “shall stand transferred to the District Judge and his decision shall be final,” the words “shall be disposed of by the State Government and its decision shall be final” shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* ;

(d) in clause (r), the portion beginning with the words “and like-wise” and ending with the words “after the commencement of this Act” shall be *omitted* ;

(e) after clause (r), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(rr) where any permission referred to in section 3 of the old Act has been obtained on any ground specified in sub-section (1) or sub-section (2) of section 21, and has become final, either before the commencement of this Act, or in accordance with the provisions of this sub-section, after the commencement of this Act, and a suit for the eviction of the tenant has not been instituted, the landlord may apply to the prescribed authority for his eviction under section 21, and thereupon the prescribed authority shall order the eviction of the tenant from the building under tenancy; and it shall not be necessary for the prescribed authority to satisfy itself afresh as to the existence of any ground as aforesaid, and such order shall be final and shall not be open to appeal under section 22 ;"

9. Any suit of the nature referred to in the proviso to sub-section (1) and sub-section (2) of section 25 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (whether its value exceeds two thousand rupees, or as the case may be, one thousand rupees, or not) or the proviso to sub-section (3) of section 15 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, instituted before the date of commencement of this Act in any Court other than a Court of Small Causes or a Court of Civil Judge or Munsif exercising jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes and pending in that Court immediately before the said date, not being a suit in which the recording of oral evidence for any party has commenced or concluded before the said date, shall upon the conferment of jurisdiction or enhanced pecuniary jurisdiction on a Civil Judge, Munsif, District Judge or Additional District Judge or on a Court of Small Causes under the said provisions stand transferred to such Court and shall be decided by that Court.

Transitory
provisions

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।